अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (7) के उपखंड (क) में, "उसकी आय" शब्दों के स्थान पर "उसकी आय या उसके सीमांत फायदों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (23क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(23ख) "सीमान्त फायदों" से धारा 115बख में निर्दिष्ट सीमांत फायदे अभिप्रेत हैं;';

(ग) खंड (42क) के परंतुक में, "पारस्परिक निधि के किसी यूनिट" शब्दों के पश्चात् "या जीरो कूपन बंधपत्र" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (43) में, "पूर्वोक्त तारीख से पूर्व" शब्दों के पश्चात्, "और 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष तथा किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के संबंध में, इसके अंतर्गत धारा 115बक के अधीन संदेय सीमांत फायदा कर है," शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) खंड (47) में, उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ivक) किसी जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन ; या"

(च) खंड 47 और उससे संबंधित स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(48) "जीरो कूपन बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो,—

(क) 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी किया गया है ;

(ख) जिसके संबंध में, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है ; और

(ग) जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" पदों के वही अर्थ हैं, जो धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः उनके हैं ।'।

धारा 10 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में, 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) खंड (4) के उपखंड (ii) में, दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (6खख) में, "31 मार्च, 2005 के पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 सितंबर, 2005 के पश्चात्" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (10घ) के उपखंड (ग) के दूसरे परंतुक में, "धारा 88 की उपधारा (2क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "यथास्थिति, धारा 80ग की उपधारा (3क) या धारा 88 की उपधारा (2क)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) में, "1 अप्रैल, 2005 के पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (15क) के परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर "1 अक्तूबर, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10क का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1क) के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती, ऐसे किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो 31 मार्च, 2009 के पश्चात् किसी विशेष आर्थिक जोन में वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है ।"।

धारा 16 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 16 में, खंड (i) का, 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) किसी ऐसे अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा (अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभार्य सीमांत फायदों को छोड़कर) का मूल्य, जो विहित किया जाए ;"।

धारा 32 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (iiक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2006 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iiक) ऐसी किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती द्वारा, 31 मार्च, 2005 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित की गई है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत के बराबर और राशि को खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु ऐसी कोई कटौती,—

(क) ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन के पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था ; या

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी वास-सुविधा में संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति की वास-सुविधा भी है ; या

(ग) किसी कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान ; या

(घ) किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत को, किसी एक पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात किया गया है,

के संबंध में अनुज्ञात नहीं की जाएगी ;';

(ख) कोई भारतीय कंपनी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी के उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन की किसी स्कीम में, जो किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किसी आस्ति के बैंककारी संस्था के साथ समामेलन उस अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई या प्रवर्तन में लाई गई हो । 1949 का 10

9. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (4) में, "ऐसे विक्रय आगम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे विक्रय आगमों के उतने जितने आरक्षित लेखा में जमा रकम का प्रतिनिधित्व करते हैं और उपधारा (3) के खंड (ग) में वर्णित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए गए हैं" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 33कग का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (5) में "31 मार्च, 2005" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2007" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 35 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक की उपधारा (1) में, "उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय" शब्दों के स्थान पर, "उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2004 से रखे गए समझे जाएंगे । धारा 35घघक का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 36 का संशोधन।

(क) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) जीरो कूपन बंधपत्र पर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, परिकलित ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि को ध्यान में रखते हुए, छूट की यथाअनुपात रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "छूट" से बंधपत्र जारी करने वाली अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य रकम और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर उस कंपनी या निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा संदेय रकम के बीच का अंतर अभिप्रेत है ;

(ii) "बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि" से बंधपत्र के जारी किए जाने की तारीख से आरंभ होने वाली और ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है ;

(iii) "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" के वही अर्थ हैं, जो धारा 10 की उपधारा (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः उनके हैं ;';

(ख) खंड (xii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(xiii) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर संदत्त बैंककारी नकद संव्यवहार कर की कोई रकम ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" और "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" पदों के वही अर्थ हैं, जो वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 6 में क्रमशः उनके हैं ।'।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखंड (iख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 40 का संशोधन।

"(iग) अध्याय 12ज के अधीन सीमांत फायदा कर मद्दे संदत्त कोई राशि ;"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (3) में, 1 अप्रैल, 2006 से, — धारा 43 का संशोधन।

(क) परतुंक में,—

(i) खंड (ग) में, "या" शब्द, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार संशोधित, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1956 का 42

'(घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) में निर्दिष्ट किन्हीं शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किया गया कोई पात्र संव्यवहार, जो किसी मान्यताप्राप्त एक्सचेंज में किया जाता है ;';

(ख) परतुंक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**— इस खंड के प्रयोजनों के लिए, पद,—

(i) "पात्र संव्यवहार" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, —

1956 का 42
1992 का 15
1996 का 22

(अ) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों और उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या उपविधियों या बैंकों अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में मान्यताप्राप्त पारस्परिक निधियों द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती के माध्यम से स्क्रीन आधारित प्रणालियों पर इलैक्ट्रानिक रूप से किया जाता है; और

(आ) जिसका ऐसे स्टाक दलाल या उप दलाल या ऐसे अन्य मध्यवर्ती द्वारा प्रत्येक ग्राहक को जारी किए गए समय स्टाम्प संविदा टिप्पण द्वारा, जिसमें संविदा टिप्पण में इसमें निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम के अधीन आबंटित विशिष्ट ग्राहक पहचान संख्यांक और इस अधिनियम के अधीन आबंटित स्थायी लेखा संख्यांक उपदर्शित हो, समर्थन किया जाता है ;

1956 का 42

(ii) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है और जो ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाएं ।'।